न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 82/2011

उनवान

1 भैरु पिता पोखर धोबी, निवासी फलामादा तहसील हुरडा हाल मुकाम गजसिंहपुरा तहसील आसीन्द जिला– भीलवाडा ।

2 गोपाल पिता पोखर धोबी, निवासी फलामादा, तहसील हुरडा हाल मुकाम गजसिंहपुरा तहसील आसीन्द जिला– भीलवाडा ।

–वादीगण

बनाम

1 काना पिता हीरा धोबी, निवासी फलामादा हाल मुकाम धोलाभाटा गहलोतो की डूगरी के पास, अजमेर राजस्थान

2 लक्ष्मण पिता हीरा धोबी, निवासी फलामादा तहसील हुरडा हाल मुकाम धोलाभाटा गहलोतो की डूगरी के पास अजमेर राजस्थान

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा ।

4 श्रीमति दाखी पत्नि पोखर धोबी, निवासी गजसिंहपुरा तह. आसीन्द

5 श्रीमति शान्ता पुत्री स्व. पोखर पत्नि रामप्रसाद धोबी, निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर।

6 श्रीमति सायरी पुत्री स्व. पोखर पत्नि मांगीलाल धोबी, निवासी भादवों की कोटडी, तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा ।

7 श्रीमति चान्दी पुत्री स्व. पोखर पत्नि अम्बालाल धोबी, निवासी देवरिया, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्रीमति निर्मला जैन,	वकील वादी ।
श्री राजेश मेहता	वकील प्रतिवादी–1
श्री गोतम कुमार बम्ब	वकील प्रतिवादी –2

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 92ए रा0 टि0 एक्ट

–:निर्णय:–

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

दिनांक– 16.05.2018

1– वादीगण के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि जमाबन्दी ग्राम फलामादा पटवार क्षैत्र फलामादा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या– 18 की आराजी नम्बर– 147, 433, 434, 435, 486, 437, 438, 1699/438 किता 8 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित होकर राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण 1 व 2 के नाम बतौर खातेदार दर्ज है।

Scanned by CamScanner

जिस पर पीढी दर पीढी वादीगण व प्रतिवादीगण का शान्ति पूर्वक बिना रोक टोक के कब्जा काश्त चला आ रहा है।

2– वाद पत्र की कलम नम्बर– 1 में वर्णित खसरा नम्बर– 147, 433, 434, 435, 436, 437, 438 व 1699/438 के साबिक खसरा नम्बर– क्रमशः 7 मीन, 71/1 मीन, 71/1 मीन, 72/1 मीन, 85/2, 85/1 74 हैं, जो कि खसरा मिलान की कोलम 13 की प्रविष्टी व साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 के अनुसार वादीगण के दादा व प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज रेकार्ड थी । परन्तु प्रतिवादीगण ने नाजायज लाभ प्राप्त करने के खातिर अकेले अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा लिया जबकि वादपत्र की कलम नम्बर– 01 में वर्णित पुश्तैनी आराजीयात में प्रतिवादीगण के साथ साथ वादीगण के पिता का भी हक अधिकार निहित था ।

3– सजरे की रुह के अनुसार हीरा पिता गिरधारी की आराजीयात में उसके पांचों पुत्रों पोखर, काना, लक्ष्मण, सोहन, मगना का समान हक हिस्सा निहित था सोहन व मगना के लाऔलाद फौत हो जाने से उनका हिस्सा, पोखर, काना, लक्ष्मण में निहित हो जाने से पोखर, काना, लक्ष्मण का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा निहित था तथा पोखर की मृत्यु हो जाने से वादीगण जो कि पोखर के विधिक उत्तराधिकारी है काना व लक्ष्मण के साथ कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजीयात में 1/3 हक हिस्सा निहित है , और इसी हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर खातेदारी हक की घोषणा कराने के अधिकारी है।

4– सहखातेदार सोहन के लाऔलाद फौत हो जाने व उसका हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण में मर्ज हो गया है।

5– वादपत्र की कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादीगण का शान्तिपूर्वक बरोक टोक कब्जा काश्त चला आ रहा है। परन्तु अभी हाल ही में दिनांक 10.01.2011 को वादीगण ने के.सी.सी. बनाने हेतु जमाबन्दी नकल निकलवायी जिस पर ज्ञात हुआ कि उक्त आराजीयात वादीगण के नाम पर न होकर प्रतिवादीगण एकेले के नाम पर दर्ज है। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त आराजीयात सहमति से वादीगण के नाम दर्ज कराने को कहा जिस पर प्रतिवादीगण ने मना कर दिया जिससे यह वादपत्र पेंश करने की चाराचोही पेंश आई है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

6– प्रतिवादीगण वादपत्र की कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजीयात में वादीगण का नाम नही होने का फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजीयात को अन्य दीगर को बेचान कर पंजियन कराने व वादीगण के कब्जे शुदा आराजीयात से बलपूर्वक बेदखल करने पर आमादा है, तथा प्रतिवादीगण का उक्त कृत्य अवैध व नाजायज होकर कानून की मंशा के विपरित है, यदि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से रोंका नही गया तो प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात को अतंरित कर वादीगण को बेदखल कर देंगे जिससे वादीगण को असहनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति कदापि असम्भव है।

Scanned by CamScanner

7– अन्त में अंकित किया गया कि बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण खातेदारी हक की घोषणात्मक डिक्री इस आशय की पारित फरमायी जावें कि वादपत्र की कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजीयात में वादीगण का 1/3, व प्रतिवादीगण संख्या– 01 का 1/3, व प्रतिवादी संख्या– 02 का 1/3 हक हिस्सा है और माफिक हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमद दरामद कराया जावें। बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण के स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की पारित फरमायी जावें कि प्रतिवादीगण वादपत्र की कलम नम्बर– 01 मउे वर्णित आराजीयात को अन्य दीगर को अंतरित न करें और ना ही वादीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल न करे न करावें।

8– प्रस्तुत वाद पत्र वाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या– 01 व 02 की और से उनके अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 19.12.2011 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी संख्या– 3 के पैरोकारराज के द्वारा प्रकरण में राज हित प्रभावित नही होने से जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया । प्रतिवादी संख्या– 4 से लगायत 7 की और से जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया।

9– प्रकरण में वादपत्र व जवाबदावा के आधार पर दिनांक– 06.03.2012 को निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई –

तनकी नं.1	आया वादपत्र की कलम नम्बर– 1 में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम फलामादा में स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी व कब्जे काश्त की आराजीयात है तथा राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण 1 व 2 के नाम खातेदारी हक से दर्ज है।	वादीगण
तनकी नं.2	आया वादपत्र की कलम नम्बर– 3 में वर्णित आराजीयात जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 के अनुसार वादीगण के दादा व प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो प्रतिवादीगण ने अकेले अपने नाम दर्ज करा ली। जबकि वादीगण के पिता का नाम भी दर्ज होना चाहिये था।	वादीगण
तनकी नं.3	आया वादी सजरे की रुह के अनुसार आराजी मुतदाविया में उसका 1/3 हिस्सा निहित है तथा इसी हक हिस्से अनुसार मौके पर वादीगण काबिज होकर अपने नाम खातेदारी हक घोषणा करवाने के अधिकारी है।	वादीगण
तनकी नं.4	आया वादपत्र की कलम नम्बर– 7 में वर्णित कारणों से वादीगण प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।	वादीगण
तनकी नं.5	आया जवाबदार वादीगण के पिता पोखर हीरा का लडका था मगर वो करीब 40 वर्ष पूर्व कालू धोबी निवासी गजसिंहपुरा के गोद चला गया तभी से वह कालू का गोद पुत्र के रुप में जाना पहचाना जाता है।	प्रतिवादी
तनकी नं.6	आया जवाबदार कालु की मृत्यु के बाद विरासत से उसकी आराजीयात पोखर के नाम दर्ज हुई इसलिये वादग्रस्त भूमि में वादीगण का कोई हिस्सा नही है	प्रतिवादी

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

	और ना ही कब्जा काश्त है।	प्रतिवादी
तनकी नं.7	आया जवाबदार विवादित आराजीयात में वादीगण का कब्जा नही होने से कब्जे के अभाव में दावा वादी चलने योग्य नही है।	
तनकी नं.8	आया जवाबदार पोखर की पुत्रिया इस प्रकरण में आवश्यक फरीक है जिनको पक्षकार नही बनाने से दावा वादी चलने योग्य नही है।	प्र.वादी 2
तनकी नं.9	अनुतोष	

10 वादीगण ने अपने वादपत्र की ताहिद में पी.डब्लू.–1 गोपाल धोबी, पी. डब्लू–2 भैरु धोबी, के बयान करवाये गये। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 प्रदर्श–1, खसरा सम्वत् 2022 प्रदर्श–2, साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2022– 2025 प्रदर्श–3, फर्द इख्तलाफ प्रदर्श–4, को प्रदर्श करवाया गया। अन्य कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नही करना चाहने से शहादत वादी स्टेज बन्द की गई।

11 प्रतिवादीगण की और से डी.डब्लू.–1 लक्ष्मण धोबी, डी.डब्लू–2 काना उर्फ कन्हैयालाल, डी.डब्लू–3 रामगोपाल, डी.डब्लू–4 नन्दा उर्फ नन्दकिशोर के बयान करवाये गये। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में ई.एक्स. डी–1 नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति, ई.एक्स.डी–2 ग्राम बारणी के नामान्तकरण प्रति, ई.एक्स.डी–3 जमबान्दी सम्वत् 2064– 2067, ई. एक्स.डी–4 जमाबन्दी सम्वत् 2057– 2060, ग्राम बारणी की जमाबन्दी सम्वत् 2065–2068 ग्राम बारणी को प्रदर्श करवाया गया, अन्य कोई दस्तावेजी अथवा गवाह पेश नही करना चाहने से शहादत प्रतिवादी स्टेज बन्द की गई।

12 तत्पश्चात पत्रावली आज केम्प कोर्ट फलामाद पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादी के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजीयात है जो उनके मौरुस हीरा पुत्र गिरधारी धोबी के समय की है। जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के नाम पर दर्ज है। विवादित आराजीयात जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 में वादीगण के दादा व प्रतिवादीगण के पिता के नाम पर दर्ज थी, किन्तु प्रतिवादीगण ने नाजायज रुप से अपने अकेले के नाम पर दर्ज करा ली , जबकि आराजीयात पुश्तैनी होने से प्रतिवादीगण के साथ वादीगण के पिता के नाम पर दर्ज होनी चाहिये थी। वादग्रस्त भूमि में खातेदार हीरा पुत्र गिरधारी के पॉचों पुत्रों का समान हक हिस्सा निहित था, तथा हीरा के पुत्र सोहन व मगना के लाऔलाद फौत हो जाने से उनका हिस्सा पोखर, काना, लक्ष्मण में निहित हो जाने से वादग्रस्त भूमि में पोखर का 1/3, काना का 1/3, लक्ष्मण का 1/3 हिस्सा निहित है। पोखर की मृत्यु हो जाने से वादीगण पोखर के विधिक वारिस होने से वह काना व लक्ष्मण के साथ 1/3 हक हिस्से से हक घोषणा करवाने के अधिकारी है।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

13 जबकि वकील प्रतिवादी संख्या–1 का कथन था कि वादीगण के पिता पोखर मृतक खातेदार हीरा का लडका था, वह करीब 40 वर्ष पूर्व

Scanned by CamScanner

कालु धोबी निवासी गजसिंहपुरा के गोद चला गया। तभी से वह कालु का गोद पुत्र के रुप में जाना पहचाना जाता है। कालु की मृत्यु के बाद विरासत से कालु की आराजीयात पोखर के नाम दर्ज हुई थी। वोटरलिस्ट में भी उसके पिता का नाम कालु दर्ज है। वादीगण के पिता पोखर कालु का गोद पुत्र है। इसलिये उक्त वादग्रस्त आराजी में उसका कोई हक हिस्सा नही है और न ही कब्जा है। इस कारण हीरा की मृत्यु के बाद विरासत से खाता उसके चारों पुत्र के नाम ही खुला था। तब भी वादीगण के पिता पोखर ने कोई आपत्ति नही की थी । उसके बा मगना की मृत्यु के बाद जब उक्त आराजी का विरासत का खाता काना, लक्ष्मण, सोहन के नाम पर खुला तब भी पोखर ने कोई आपत्ति नही की, उसके बाद सोहन की मृत्यु हो गई, और उसकी विरासत प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के नाम पर दर्ज हुई, तब भी वादीगण ने कोई आपत्ति नही की। और न ही उक्त तीनों नामान्तकरणों को पोखर के द्वारा व उसकी मृत्यु के बाद वादीगण के द्वारा कोई चुनौती कोई अपील प्रस्तुत नही की गई। अन्त में कथन किया कि वादीगण के द्वारा गलत तथ्यों पर यह वाद प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज फरमाया जावें।

14 वकील प्रतिवादी संख्या– 2 का कथन था कि वादीगण के पिता पोखर 40 साल पहले कालु धोबी जो कि हीरा का भाई था उसके गॉव गजसिंहपुरा में गोद गया था तथा गोद रहते हुये कालु की सम्पति पोखर में निहित हो चूकी है। वादीगण के पिता ग्राम फलामादा से ग्राम गजसिंहपुरा चले जाने से उसने जाईन्दा पिता की सम्पति में पोखर का कानूनन हिन्दू दत्तक ग्रहण अधिनियम के अनुसार गोद जाने वाले का जायन्दा पिता की सम्पति में कोई हक नही रह जाता है, और गोद पिता की सम्पति में हक अधिकार उत्पन्न हो जाने से वादीगण का वादग्रस्त सम्पति में अधिकार समाप्त हो चूके है इसलिये दावा वादीगण खारिज फरमाया जावें।

15 मैनें वकील उभयपक्ष की बहस को सूना। बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवज का अध्ययन किया। तनकी वार विवेचन निम्न प्रकार रहा है–

16 **<u>तनकी नम्बर– 1</u>** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है। इस तनकी के समर्थन में वादीगण के द्वारा ई.एक्स.पी.–1 को प्रदर्श कराया गया। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत ई.एक्स.पी–1 जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 मौजा फलामादा तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 147, 433, 434, 435, 436, 437, 438 1699/438 किता 8 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा भूमि काना, सोहन, लक्ष्मण, सोहन पिता हीरा धोबी के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है। जहॉ तक वादग्रस्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी आराजीयात होने का प्रश्न है इस सन्दर्भ में प्रतिवीगण का कथन है कि वादीगण के पिता पोखर 40 साल पहले कालु धोबी के गोद चले गये थे। अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा ई.एक्स.डी.–2 पोखर पुत्र कालु धोबी के विरासत का नामान्तकरण, पंचायत मतदाता सूची वर्ष 1986 ग्राम गजसिंहपुरा, जमाबन्दी सम्वत् 2057–2060 मौजा बारणी तहसील आसीन्द पोखर का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियॉ प्रस्तुत करवाई

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

...यक कलेक्टर
...O.) गुलाबपुरा
...ला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

गई। पोखर के मृत्यु प्रमाण पत्र में उसके पिता का नाम कालु धोबी अंकित है। ग्राम बारणी की जमाबन्दी में पोखर के पिता का नाम कालु धोबी अंकित है। पंचायत मतदाता सूची में भी पोखर के पिता का नाम कालु लिखा हुआ है, उक्त दस्तावेजों से यह तो स्पष्ट है कि वादीगण के पिता पोखर कालु धोबी निवासी गजसिंहपुरा के गोद चले जाने से कालु धोबी की भूमि गोद पुत्र की हैसियत से उनके नाम दर्ज हुई थी। ऐसी स्थिति में हीरा पुत्र गिरधारी के हक अधिकारों की वादग्रस्त भूमि को वादीगण की पुश्तैनी आराजी नही माना जा सकता, लिहाजा इस तनकी का आंशिक निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

17 **तनकी नम्बर– 2** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है। इस तनकी के समर्थन में वादीगण के द्वारा ई.एक्स.पी–3 को प्रस्तुत किया गया है, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत ई.एक्स.पी–3 जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 मौजा फलामादा तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नम्बर– 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 73, 74, 75, 77, 85/1, 82/2 किता 10 रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा भूमि हीरा पिता गिरधारी धोबी साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा फर्द इख्तलाफ संख्या– 41 विरासत से हीरा के बजाय काना, मगना, लक्ष्मण, सोहन पिता हीरा के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है, चुॅकि मृतक खातेदार हीरा का पुत्र पोखर कालु धोबी के गोद चले जाने से ही सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा मृतक खातेदार हीरा की विरासत उनके शेष पुत्रों के नाम ही इख्तलाफ संख्या– 41 निर्णित किया गया है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण के पिता पोखर का कोई हक अधिकार शेष नही रहने से सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा जो इख्तलाफ संख्या– 41 निर्णित किया गया है वह विधि समत् होने से इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरुद्ध किया जाता है।

18 **तनकी नम्बर– 3** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत ई.एक्स.पी–3 के अनुसार विवादित आराजीयात हीरा पुत्र गिरधारी धोबी के नाम दर्ज रिकार्ड थी, यहॉ यह निर्विवाद है कि मृतक खातेदार के पॉच पुत्र क्रमशः पोखर, काना, लक्ष्मण, सोहन व मगना थे, प्रतिवादी का कथन है कि वादीगण का पिता पोखर कालु धोबी के गोद चले जाने से हीरा का विरासत का खाता काना, लक्ष्मण, सोहन, मगना के नाम खुला था, अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा ग्राम बारणी तहसील आसीन्द की जमाबन्दीयॉ, पोखर का मृत्यु प्रमाण पत्र, पंचायत मतदाता सूची, वर्ष 1986 ग्राम गजसिंहपुरा की फोटो प्रतियॉ प्रस्तुत की गई, प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत पंचायत मतदाता सूची वर्ष 1986 पंचायत जगपुरा ग्राम गजसिंहपुरा की क्रम संख्या– 205 पर पोखर/कालु अंकित है, पोखर धोबी के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी उसके पिता का नाम कालु धोबी अंकित है, उक्त दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वादीगण के पिता पोखर कालु धोबी के गोद जाने से सभी दस्तावेजों में उनके पिता का नाम कालु धोबी दर्ज हुआ था। प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत ई.एक्स.डी–5 जमाबन्दी सम्वत् 2057– 2060 मौजा बारणी तहसील आसीन्द के अनुसार आराजी नम्बर– 868 रकबा 0.5400 हैक्टर भूमि पोखर पुत्र कालु धोबी साकिन

लेक्टर
लाबपुरा
वाड़ा

Scanned by CamScanner

गजसिंहपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा ई.एक्स.डी–6 जमाबन्दी सम्वत् 2065–2068 मौजा बारणी के अनुसार आराजी नम्बर– 868 रकबा 0.5400 हैक्टर भूमि पोखर की विरासत से भैरु, गोपाल पिता पोखर, दाखी पत्नि पोखर धोबी साकिन गजसिंहपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड होना भी स्पष्ट हुआ है।

वादी गोपाल ने अपने बयानों की जिरह में यह कथन किया था कि आराजी नम्बर– 868 रकबा 0.5400 हैक्टर भूमि पोखर पुत्र कालु के नाम दर्ज है वह अलोट हुई थी, किन्तु अपने कथनों की पुष्टि में उनके द्वारा भूमि आंवटन सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही करवाये गये है, कुछ समय के लिये यह मान भी लिया जावें कि ग्राम बारणी तहसील आसीन्द की आराजी नम्बर– 868 रकबा 0.5400 हैक्टर भूमि पोखर को आंवटन हुई थी, तो पोखर के पिता का नाम हीरा दर्ज होना चाहिये था, कालु किस प्रकार से दर्ज हुआ, यदि पोखर पुत्र कालु धोबी वादीगण के पिता न होकर कोई अन्य व्यक्ति है तो पोखर पुत्र कालु धोबी की आराजीयात वादीगण के नाम किस प्रकार से दर्ज हुई। इन सभी बिन्दुओं पर वादीगण खामोश रहे है, साथ ही वादी गोपाल ने अपने बयानों की जिरह में यह स्वीकार किया है कि कालु जी के कोई जायन्दा लडका नही था, वादी गोपाल के बयानों से यह स्पष्ट है कि कालु धोबी के कोई जायन्दा लडका नही होने से ही वादीगण के पिता पोखर को कालु धोबी ने गोद रखा था और इसी कारण से वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार हीरा की मृत्यु के बाद सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान जो इख्तालाफ संख्या– 41 से विवादित भूमि काना, मगना, लक्ष्मण, सोहन के नाम दर्ज हुई उसको पोखर ने कोई चुनौती नही दी, उसका कोई विरुद्ध नही किया गया, उसके बाद जब खातेदार मगना की मृत्यु के बाद उसका विरासत का नामान्तकरण उसके भाई काना, सोहन, लक्ष्मण, के नाम खोला गया उसको भी कोई चुनौती नही दी गई, मृतक खातेदार हीरा पुत्र गिरधारी की विरासत खुले हुये, करीब 45 वर्ष हो चूके है 45 वर्ष तक खामोश रहने के बाद वादीगण का यह कहना है कि वादग्रस्त भूमि में उनके पिता पोखर का 1/3 हिस्सा है वह भी उस दशा में जब वादीगण के पिता पोखर व खातेदार मगना सोहन की मृत्यु हो जाने पर अतएव उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि में हक घोषणा करवाने के अधिकारी नही पाये जाने से इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरुद्ध किया जाता है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

19 **तनकी नम्बर–.4** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है। चुंकि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व जमाबन्दी के अनुसार वादग्रस्त भूमि के प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 खातेदार काश्तकार है इसके विपरित वादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार स्वतः प्रथम दृष्टिया प्रकट नही होने से खातेदारों के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायचित नही होने से इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरुद्ध किया जाता है।

20 **तनकी नम्बर– 5 व 6** इन दोनो तनकीयों को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी पर होने एवं यह दोनो तनकीयां एक–दूसरे से सम्बन्धित

Scanned by CamScanner

होने से इनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है। चुँकि इन तनकियों के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन तनकी नम्बर– 3 में किया जा चूका है, पृथक से और विवेचन किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है, लिहाजा इन दोनो तनकीयों का निर्णय प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के पक्ष में किया जाता है।

21 **तनकी नम्बर– 7** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 पर है। चुँकि विवादित आराजीयात के 45 सालों से प्रतिवादीगण संख्या– 1 व 2 खातेदार है तो स्वभाविक है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 का ही कब्जा है। वादीगण ने भी एक वादग्रस्त भूमि पर अपने कब्जे के सम्बन्ध में किसी भी स्तर की कोई साक्ष्य उपलब्ध नही कराई गई है, साथ ही वादी गोपाल ने स्वयं अपने बयानों की जिरह में यह स्वीकार किया है कि **"––आज भी खाता लक्ष्मण काना के नाम है और वही कमा खॉ रहे है,––"**। वादी भैरु ने भी अपने बयानों की जिरह में कथन किया है कि **"––– कुल कितने खेत है मुझे पता नही खेत पर मैं कभी नही गया––"** वादीगण के उक्त बयानों से भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा नही है, तदनुसार इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के पक्ष में किया जाता है।

22 **तनकी नम्बर– 8** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 पर है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत फलामादा के द्वारा जारी सजरा दिनांक 06.08.2013 के अनुसार पोखर के दो पुत्र भैरु व गोपाल, पत्नि दाखी, तथा शान्ता, सायर, चान्दी पुत्रीयॉ होना प्रकट है। वादीगण के द्वारा शान्ता, सायर व चान्दी को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया था, पोखर की उक्त तीनों पुत्रीयॉ द्वारा प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश– 1 नियम –10 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर स्वयं पक्षकार कायम हुई है। जो प्रकरण में बतौर प्रतिवादी संख्या– 5 6 7 पर स्थापित है। इससे स्पष्ट है कि वादीगण के द्वारा जानबूझकर तथ्यों को छिपाकर अपनी बहिनों को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया था, लिहाजा इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी–1 व 2 के पक्ष में किया जाता है।

23 **तनकी नम्बर– 9** इस वाद की सभी महत्वपूर्ण तनकीयों का निर्णय वादीगण के विरुद्ध हो जाने से इस वाद का निर्णय हो जाता है, लिहाजा दावा वादी खारिज योग्य है।

–: निर्णय :–

दावा वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट फलामादा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner